

 <p>छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड CIN-U40108CT2003SGC015820 GST No. - 22AADCC5773E1ZX</p>	<p>CHHATTISGARH STATE POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (C.G. Govt. Undertaking) (छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) CHHATTISGARH STATE LOAD DESPATCH CENTRE: RAIPUR छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र, रायपुर दूरभाष <i>PHONE</i>: 0771-2574172, फैक्स <i>FAX NO.</i> 0771-2574174. Web Site: www.sldccg.com email: ra.csldc@sldccg.com</p>
--	---

PUBLIC NOTICE

In compliance to the relevant provisions under Section 62 and 64 of Electricity Act, 2003, and of the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for determination of Multi-Year Tariff) Regulations, 2025, Chhattisgarh State Load Despatch Center (CSLDC) has submitted a Petition for the approval of Capital Investment Plan (CIP) for the control period from FY 2026-27 to FY 2029-30. The petition has been registered as petition no. 07/2026. The estimated year wise Capital Expenditure proposed by SLDC under this CIP are as under: -

Capital Investment Plant	Total during the MYT control period (Figures in Crores)
FY 2026-27 to FY 2029-30	165.12

Copies of the petition are available at Chhattisgarh State Electricity Regulation Commission's office, New Shanti Nagar, Raipur and office of the State Load Despatch Center Office at Dangania, Raipur, which can be purchased on any working day on payment of Rs. 150/-. The same may also be obtained by post on payment of additional charge of Rs. 50/-. Copy of this notice and the petition are also available on website www.cserc.gov.in.

Objections/suggestions relating to the petition may sent to the office of Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Regulation Commission's office, New Shanti Nagar, Raipur and copy to Chief Engineer, SLDC at Dangania, Raipur, and/or within 21 days of the date of publication of this notice. Objections /suggestions may also be sent to email cserc.sec.cg@nic.in. The Commission shall also conduct public hearing on the above petition for which place, date and time shall be notified separately through newspaper.

**Chief Engineer
SLDC, CSPTCL Raipur**



CIN-U40108CT2003SGC015820
GST No. – 22AADCC5773E1ZX

CHHATTISGARH STATE POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
(C.G. Govt. Undertaking) (छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

CHHATTISGARH STATE LOAD DESPATCH CENTRE: RAIPUR

छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र, रायपुर

दूरभाष PHONE: 0771-2574172,

फैक्स FAX NO. 0771-2574174.

Web Site: www.sldccg.com

email: ra.csldc@sldccg.com

आम-सूचना

विद्युत अधिनियम, 2003, की धारा 62 व 64 एवं उनके अन्तर्गत अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ के निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2025 के प्रावधानों के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र के द्वारा पूँजी निवेश योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2029-30 के नियंत्रण अवधि के लिए अनुमोदन हेतु याचिका छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इस याचिका को याचिका क्रमांक 07/2026 के रूप में पंजीकृत किया गया है। जिसके अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पूँजी निवेश योजना के लिए कुल अनुमानित व्यय का विवरण निम्नानुसार है: –

छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र पूँजी निवेश योजना	बहुवर्षीय टैरिफ में कुल अनुमानित व्यय (सभी राशि करोड़ रुपये में)
वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2029-30	165.12

उपरोक्त याचिका की प्रति छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग, शांति नगर, रायपुर के कार्यालय एवं छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र, डंगनिया, रायपुर के मुख्यालय में उपलब्ध है। याचिका की मुद्रित प्रति कार्यालयीन दिवस में रु.150/- का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति रु.50/- (डाक व्यय) का अतिरिक्त भुगतान कर डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति वेबसाइट www.sldccg.com तथा www.cserc.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

उक्त याचिका पर आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करने हेतु इच्छुक पक्षकार अपनी आपत्ति/सुझाव इस आम सूचना के प्रकाशित होने के 21 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर, पिन-492001 (E-mail: cserc.sec.cg@nic.in) एवं/या मुख्य अभियंता छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र, डंगनिया, रायपुर के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। विद्युत नियामक आयोग द्वारा उपरोक्त याचिका पर जनसुनवाई हेतु स्थान, दिनांक एवं समय पृथक से समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा।

मुख्य अभियंता
राज्य भार प्रेषण केन्द्र
छ.ग.रा.वि.ट्रांस.कं.लि., रायपुर